

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक - / / 2024 ई०।

विषय :- स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष-092-अन्य कार्यालय, उपशीर्ष-20-झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) के स्थापना मद के निम्न ईकाई में कुल ₹० 22,000/- (बाईस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

ईकाई/विपत्र कोड	राशि
29 व्यवसायिक सेवाएँ (22S20520009220000329)	22,000/- (बाईस हजार रुपये)
कुल :-	22,000/- (बाईस हजार रुपये)

2. व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष-092-अन्य कार्यालय, उपशीर्ष-20-झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अन्तर्गत संबंधित मदों/ईकाईयों से किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), झारखण्ड, राँची होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रभाग) के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्यवाही करेंगे।

7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अविनाश कुमार)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 04/विविध (आ०)-101/2018

राँची, दिनांक- / / 2024 ई०।

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 04/विविध (आ०)-101/2018 158 /

राँची, दिनांक- 19/01 / 2024 ई०।

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/अवर सचिव, प्रशाखा-01, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नोक्त दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/V(A)-101/18/158

दिनांक - 19-Jan-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 20520009220000329 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 00 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं 092 - अन्य कार्यालय 20 - झारखण्ड / वनांचल आंदोलनकारी चिन्हीतीकरण आयोग 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय Establishment Expenditure	78618	PRJSGS016 SANJAY KUMAR JHA UNDER SEC HOME, PRISON & DIS 29 - व्यावसायिक सेवाएं	22,000.00 रुपये बाइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			



योग:

रुपये बाइस हजार

22,000.00

क्रमिक योग:

Am

(AVINASH KUMAR)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY